न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ...भमारी... बनाम ...चाँद मल पुत्र दिदका फकीर चौसी नगला...

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 44 निर्णय दिनाँक :- 3-8-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ...चौसी का नगला (अलवर)... की आ.ख.न. ...701... कुल रकबा ...1.06... किस्म जमीन ...गैर मुमकिन... में से ...0.01... बीघा पक्का रकबे पर श्री ...चाँद मल पुत्र दिदका फकीर... पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ...पक्का बीघा... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ...भमारी... द्वारा दिनाँक ...5-7-18... ..... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. ...डरोड़ा... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी ...चाँद मल पुत्र दिदका... जाति ...फकीर... निवासी ...चौसी नगला... को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ...चाँद मल पुत्र दिदका फकीर... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. ...701... रकबा ...1.06... में से ...0.01... रकबे किस्म ...गैर मुमकिन... है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा तौरसायरा को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान ...0.06... के 50 गुणा ...3.00... रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ...भमारी... भू.अ.निरी. ...डरोड़ा... ..... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०

41 2
प्रतिलिपि 2018-19 ... 31
की कार्यवाही की गई